राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–4 / निरीक्षण) विभाग

क्रमांकः प.5(5)प्र.सु. / अनु–4 / 2006 जयपुर दिनांकः 29–01–2020

परिपत्र

विषयः– सरकारी कार्यालयों में समय की पाबंदी एवं कार्य स्थलों पर आवागमन पंजिका (मूवमेन्ट रजिस्टर) संधारण के संबंध में।

प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र क्रमांक प 22 (2)प्र.सु. / 1 / 83 दिनांक 05.05.1990 के क्रम में लेख है कि कोई भी अधिकारी / कर्मचारी कार्यालय समय यथा 9.30AM से 6.00PM तक (दोपहर 1.30 बजे से 2 बजे के अलावा) अपना स्थान न छोड़े तथा राजकार्य त्वरित रूप से सम्पादित करें।

यह ध्यान में लाया गया है कि कई अधिकारी / कर्मचारी नियत कार्यालय समयावधि में अपने पदस्थापित स्थान से बाहर घूमते हुये पाये जाते है। विभागाध्यक्ष / संयुक्त सचिव / उप सचिव / अन्य ग्रुप अधिकारिगण का दायित्व है कि कोई भी कर्मचारी उक्त अवधि में अपनी सीट न छोड़े व पूरे कार्यालय समय में राजकीय कार्य सम्पादन करें। कर्मचारियों पर पूर्णरूपेण नियंत्रण रखने के प्रयोजनार्थ यह आवश्यक है कि कोई कर्मचारी यदि प्रकोष्ठ से बाहर जाता है तो वह आवागमन पंजिका में जाने का कारण इन्द्राज कर ही कार्यालय से प्रस्थान करें।

उपस्थिति औचक निरीक्षण दल के यह भी ध्यान में आया है कि परिपत्र दिनांक 05.05.1990 के माध्यम से प्रसारित निर्देशों के उपरान्त भी ऐसी पंजिका संधारित नहीं की जा रही है। यह भी प्रावधित है कि समस्त राजकीय विभाग / राजकीय निगम / बोर्ड / स्वायत्तशाषी संस्थाओं के विभागाध्यक्ष / संयुक्त सचिव / उप सचिव / अन्य ग्रुप अधिकारिगण यह सुनिश्चित करेंगे कि बिना अनुमति तथा आवागमन पंजिका में इन्द्राज किये कोई भी कर्मचारी कार्यस्थल नहीं छोड़े। आवागमन पंजिका का प्रारूप इस परिपत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

अतः समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / सम्भागीय आयुक्त / जिला कलेक्टर / विभागाध्यक्ष एवं अन्य संबंधितों को व्यादिष्ट किया जाता है कि वे उक्त निर्देशों की कठोरता से अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से

(डॉ. आर. वेंकटेश्वरन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान।
2– समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव।
3– समस्त सम्भागीय आयुक्त / जिला कलेक्टर।
4– समस्त विभागाध्यक्ष।
5– निदेशक, लोक सेवाऐं, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग / उप सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग
6– रक्षित पत्रावली।

30/1/2020

(डी. के. स्वामी)
शासन उपसचिव

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ1( )प्रशा. / आकाशि / 2020 / 7301 दिनांकः 14-03-202

प्रतिलिपिः– निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।

1. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, / राजकीय महिला महाविद्यालय / राजकीय विधि महाविद्यालय को पालनार्थ।
2. सहायक निदेशक, जयपुर / जोधपुर / उदयपुर / बीकानेर / अजमेर / कोटा को पालनार्थ
2. बेव प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज, शिक्षा राजस्थान, जयपुर।

17.3.2020

(डॉ के.एल.सिराधना)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर